



District Institute of Education and Training Rohtas, Sasaram

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रोहतास, सासाराम

Email Id- dietssmrohtas@gmail.com Website- www.dietsasaram.in

पत्रांक- 252 दिनांक- 29.10.21

डी0 एल0 एड0 सत्र 2021-23 में काउंसलिंग (COUNSELLING) हेतु सूचना

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण के पत्रांक-274 दिनांक 29.07.2021 एवं पत्रांक-335 दिनांक 23.08.2021 के आलोक में डी0 एल0 एड0 कोर्स नियमित सत्र 2021-23 में नामांकन हेतु आवेदित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रथम एवं द्वितीय चयनित सूची से नामांकन के उपरांत शेष सीटों के विरुद्ध संकाय-विज्ञान एवं कला/वाणिज्य (उर्दू सहित) की COUNSELLING दिनांक -30.10.2021 एवं 31.10.2021 को कार्यालय अवधि में डायट सासाराम रोहतास में किया जाएगा। COUNSELLING में उपस्थित अभ्यर्थियों से कोटि के अनुरूप मेधा अंक के आधार पर चयनित सूची का निर्माण किया जाएगा। नामांकन संबंधी सूचना COUNSELLING के पश्चात चयनित सूची के निर्माण के बाद संस्थान के Website- www.dietsasaram.in पर प्रदान की जाएगी तथा मेधा सूची में चयनित उम्मीदवारों को इमेल तथा फोन/sms किया जाएगा। ज्ञातव्य को कि COUNSELLING में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का दावा स्वतः समाप्त माना जाएगा। काउंसलिंग नामांकन का आधार नहीं होगा काउंसलिंग के उपरांत मेधा क्रम में ऊचे अंक वाले का चयन किया जाएगा। विज्ञान तथा कला/वाणिज्य के अभ्यर्थियों के COUNSELLING हेतु निर्धारित कट ऑफ निम्न प्रकार हैं:-

क्र०सं०	कोटि	Science		Arts	
		High	Low	High	Low
1	UR	81.85	69.00	75.10	62.00
2	EBC	78.30	62.00	74.70	58.00
3	BC	81.30	63.00	74.40	59.00
4	RCF	NIL	NIL	NIL	NIL
5	SC	75.10	59.00	70.24	57.00
6	ST	75.20	51.00	NIL	NIL
7	EWS	NIL	NIL	71.20	60.00
8	URDU (Only Moulvi)	NIL	NIL	67.38	58.00
9	VI/PH (दिव्यांग)	61.60	All Divyang candidates	63.80	All Divyang candidates

काउंसलिंग (COUNSELLING) के समय अभ्यर्थी को निम्नांकित स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति एवं मूल कागजात के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है:-

1. आवेदक द्वारा किये गए ऑनलाईन की प्रति।
2. मूल प्रमाण पत्र मैट्रिक/समकक्ष, इन्टर।
3. मूल अंकपत्र मैट्रिक/समकक्ष, इन्टर /आवासीय प्रमाण पत्र।
4. जाति प्रमाण पत्र। (जिनका चयन आरक्षित वर्ग में हुआ है)
5. निःशक्तता प्रमाण पत्र की मूलप्रति। (जिनका चयन निःशक्त वर्ग में हुआ है)
6. आधार कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र।
7. आरक्षण का दावा हेतु अद्यतन BC (NCL), EWS आदि प्रमाण पत्र।
8. महाविद्यालय परित्याग-प्रमाण पत्र की मूलप्रति चयनोपरांत।

सभी अभ्यर्थी का आवेदन के समय दिये गये विवरण से मिलान/सत्यापन करने के उपरांत मूल प्रति को वापस कर दिया जाएगा।

नोट:- (1) पूर्व के प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची के अभ्यर्थी को छोड़कर काउंसलिंग (COUNSELLING) में भाग लेना है।

- (2) उपरोक्त सभी कोटि के कट ऑफ के उपर मेधा वाले वैसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची में नाम शामिल नहीं था वे काउंसलिंग (COUNSELLING) में भाग ले सकते हैं।

प्रभासी प्रोचौर्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

रोहतास, सासाराम।

29.10.21